केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति (सीपीएसी) के पुनर्गठन के बारे में दिशा-निर्देश
(23/12/2009 में यथा संशोधित)

क) केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति (सीपीएसी) में प्रतिनिधित्व चाहने वाली एसोसिएशन/यूनियन/फैडरेशन को संपादकों, मालिक-संपादकों, संवाददाताओं और समाचार कैमरामन का संगठन या समाचार मीडिया एसोसिएशन/यूनियन/फेडरेशन का संगठन होना जरूरी है। इस संस्था को उपयुक्त सरकारी प्राधिकारियों के यहां पंजीकृत भी होना चाहिए।

ख) इस तरह की एसोसिएशन/यूनियन ने उपयुक्त सरकारी प्राधिकारियों के साथ पंजीकरण की तारीख से कम से कम पांच साल पूरे कर लिए हों।

ग) एसोसिएशन/यूनियन को हर दो साल की सदस्यता के बाद अपने वित्तीय संसाधनों और गतिविधियों के बारे में चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित दस्तावेजी सबूत पेश करने होंगे।

घ) सीपीसीए में प्रतिनिधित्व चाहने वाली एसोसिएशन/यूनियन का स्वरूप अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिनिधित्व पर आधारित होना चाहिए और देश के विभिन्न क्षेत्रों में कम से कम छह राज्यों में उसकी पंजीकृत संबद्ध संस्थाएं होनी चाहिए। केवल ऐसे संगठन जिनकी () स्वभाविक कारणों से राज्यों में संबद्ध संस्थाएं नहीं हैं/संबद्ध संस्थाएं नहीं बना सकते; और () ऐसी यूनियनें जिनके 90 प्रतिशत या इससे अधिक सदस्य पीआईबी में पंजीकृत हैं, इसके अपवाद हैं।

ङ) एसोसिएशन/फेडरेशन के कम से कम 90 प्रतिशत सदस्यों को केन्द्रीय समाचार माध्यम प्रत्यायन नियमावली में प्रत्यायन देने के लिए निर्धारित मानदंडों की शर्तों को पूरा करना चाहिए। बहरहाल, दिल्ली या इसके आस-पास में ही निवास की शर्त लागू नहीं होगी।

च) सीपीसीए में प्रतिनिधित्व चाहने वाली एसोसिएशन/यूनियन की न्यूनतम सदस्यता इस प्रकार होनी चाहिए:-

(i) कैमरामैन/फोटोग्राफरों की एसोसिएशन/यूनियन – 50 सदस्य (कम से कम 12 सदस्य पीआईबी से प्रत्यायित होने चाहिए)
(ii) पत्रकारों की अन्य एसोसिएशन/यूनियन – 200 सदस्य (कम से कम 50 सदस्य भारत सरकार/राज्य सरकार से प्रत्यायित होने चाहिए)

(iii) समाचार मीडिया संगठनों की ऐसी फेडरेशनों में, जिनमें केवल संस्थागत सदस्य हों, कम से कम 25 सदस्य होने चाहिए। लेकिन ऐसे संगठनों को इसके सभी सदस्य संगठनों में काम करने वाले पत्रकारों और पीआईबी/ राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यायित प्रत्यायित पत्रकारों की कुल संख्या की दृष्टि से ऊपर च(ii) में बताई गयी शर्त को पूरा करना होगा।
(iv) संपादकों या चैनल प्रमुखों या अन्य समाचार मीडिया संगठनों की एसोसिएशनों में कम से कम 25 सदस्य होने चाहिए। बहरहाल, उनके संगठनों को उनके सभी सदस्य संगठनों में नियुक्त पत्रकारों और पीआईबी/राज्य सरकारों के साथ प्रत्यायित पत्रकारों की कुल संख्या की दृष्टि से च(ii) में बताई गयी शर्त को पूरा करना होगा।

छ) किसी विषय विशेष से संबंधित दो से अधिक संगठनों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा। अगर दो से अधिक को सीपीएसी की सदस्यता के योग्य पाया जाएगा तो सबसे बड़े दो संगठनों को (सदस्य संख्या की दृष्टि से) प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

ज) सीपीएसी की कुल सदस्य संख्या 25 से ज्यादा नहीं होगी। अगर जरूरी हुआ तो प्रधान महानिदेशक आरएनआई और विदेश मंत्रालय के एक्सपी डिविजन से एक-एक सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं जो सीपीएसी को प्रसार संख्या के मामले में और विदेशी संवाददाता/समाचारपत्र और विदेशी समाचार एजेंसी की हैसियत/दर्जे के बारे में सलाह देंगे। ये दो सदस्य सीपीएसी की प्रस्तावित 25 की सदस्य संख्या के अतिरिक्त होंगे।

झ) प्रत्येक मान्यता प्राप्त एसोसिएशन/फेडरेशन को पत्रकारों का एक पैनल भेजने को आमंत्रित किया जाएगा जिनमें से सरकार किसी एक प्रतिनिधि को सीपीएसी का सदस्य नामजद कर सकती है। पैनल में तीन नाम होने चाहिए जो उसके अखिल भारतीय प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करें। पत्रकारों की बाकी रिक्तियां सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रधान महानिदेशक की सिफारिश पर पीआईबी के प्रत्यायन वाले प्रतिष्ठित पत्रकारों में से पूरा करेगा।

ञ) पत्रकारों के पेशेवर संगठन, जैसे कैमरामैन एसोसिएशन को प्रतिनिधित्व के मामले में गैर-पेशेवरों पर तरजीह दी जाएगी क्योंकि प्रत्यायन का मुख्य उद्देश्य उन्हें अपने रोजमर्रा के कार्य में कामकाजी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

ट) प्रधान महानिदेशक को सीपीएसी में प्रतिनिधित्व के सिलसिले में संबंधित संगठन/एसोसिएशन से ऐसी कोई भी सूचना मांगने का अधिकार होगा जो आवश्यक हो।

*****